1831
06-01-22

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 18 /प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1/आवंटन/कैम्प दिनांक 03 जनवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या File No. IRR 2-15/15.1/1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28374)/I/87150/2022, दिनांक 02.01.2023 द्वारा पूंजीलेखा के अनुदान संख्या–20 राज्य सैक्टर जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0बी0/भूमि अधिग्रहण (53–वृहद निर्माण) मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में भीमताल ब्लाक के अमृतपुर–जमरानी मोटर मार्ग पर डहरा क्षेत्र में गोला नदी के कटाव से बनी कैविटी के कारण परियोजना मार्ग की भविष्य में विस्तारित क्षति को रोकने हेतु क्षतिग्रस्त कार्यो की पुनर्स्थापना लागत ₹ 125.26 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में ₹ 75.156 लाख (रूपये पिचहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ मात्र) का प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखते हुये आवंटन किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 75.156 लाख का मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/मदवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	मद का विस्तृत विवरण/कार्य का नाम/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	स्वीकृत लागत	आवंटित धनराशि
क	20/4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0वी0/भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि, 00–53–वृहद निर्माण (4700–80–001–04–00–53)		
	मुख्य अभियन्ता स्तर–2, हल्द्वानी		
	जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2, हल्द्वानी (पी0आई0यू0 जमरानी बॉध के निवर्तन पर रखा जायेगा)		
1	भीमताल ब्लाक के अमृतपुर–जमरानी मोटर मार्ग पर डहरा क्षेत्र में गोला नदी के कटाव से बनी कैविटी के कारण परियोजना मार्ग की भविष्य में विस्तारित क्षति को रोकने हेतु क्षतिग्रस्त कार्यो की पुनर्स्थापना।	125.26	75.156
	योग	125.26	75.156

(रूपये पिचहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश संख्या File No. IRR 2-15/15.1/1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 28374)/I/87150/2022, दिनांक 02.01.2023 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगाः–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाये, जिसके लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण व व्यय में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–236/XXVII(1)/2022/9(150)-2019, दिनांक 04.04.2022 एवं शासनादेश सं0 391/09(150)–.2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24.06.2022 में निर्धारित शर्तो के साथ–साथ बजट मैन्युल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय।

5. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय ।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0-10 पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
7. कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।
8. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।
9. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यो हेतु धनावंटन किया गया है। वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित पोषित/स्वीकृत न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा । कार्य की लागत को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नही किया जायेगा ।
10. आवंटित धनराशि के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यो की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी ।
11. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना के प्रावधानों पर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (बाढ़) का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा ।
12. उपरोक्त उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों एवं उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई अस्पष्टता अथवा भ्रम की स्थिति प्रतीत हो रही हो तो वस्तुस्थिति से इस कार्यालय से तत्काल स्पष्ट करा ली जाय ।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: 18 /प्र0अ0/बजट/बी-1/तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति बजट अनुभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-।।, हल्द्वानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
5. प्रबन्ध निदेशक (UPDCC), देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि स्वीकृत कार्यो हेतु सम्बन्धित खण्ड को उतनी ही धनराशि की मांग प्रेषित करने का कष्ट करें, जितनी धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में हो सके ।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
7. अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रबन्ध निदेशक (UPDCC), देहरादून की मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

3-1-23

(डी0एस0 कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता